

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 132 / 2013

दर्ज दिनांक:—11.10.2013

1. राजेन्द्रसिंह पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. मनोज कुमार पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

कृष्ण कुमार सिंघल

प्रार्थी अभिभाषक
अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल वयनामा संख्या 1214 दिनांक 23.05.1997 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 331/0.18, 332/0.26, 33/0.26 किता 3 रकवा कुल रकवा 0.70 है0 स्थित ग्राम महंगाया के 2/3 के 1/2 अर्थात 1/3 हिस्सा को तत्कालीन खातेदार बोदन द्वारा केता प्रताप को विक्रय किया। दा0 ख0 संख्या 161/02. 01.98 द्वारा विक्रित 1/3 हि0 के स्थान पर सहवन से 2/3 हिस्सा का दा.खा. केता प्रताप के नाम खुलकर जमाबंदी में अमल हो गया। केता के पुत्रगण असल प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा दावे में वादीगण के पक्ष में इकबाल दिनांक 14.09.2016 पेश किया है जो रिकार्ड से प्रमाणित है। प्रतिवादी सं. 4 पैरोकार सरकार ने भी अपने जबाव दावा में दावा वादीगण को रिकार्ड व इकवाल दावा के आधार पर स्वीकार करने की अनुशंसा की है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है—

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। हाल ख. नं. 331/0.18, 332/0.26, 333/0.26 किता 3 कुल रकवा 0.70 है0 स्थित ग्राम महंगाया तह0 भरतपुर के 1/3 हिस्से पर केता प्रताप के वारिसान प्रतिवादी सं. 1,2 तथा वाद ग्रस्त आराजी के 1/3 पर प्रतिवादी सं. 3 नेकराम एवं शेष 1/3 हिस्सा पर वादीगण हि0 ब0 के खातेदार रहेगे। रहन अंकन यथावत रहेगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,

